

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 09/2015

दायर दिनांक: 12.02.2015

## उनवान

1. रामप्रताप आयु 52 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति माली निवासी मैन चौराहा कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादी

## बनाम

1. दोलतराम आयु 55 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति माली निवासी मैन चौराहा दत्तात्रेय मन्दिर के सामने कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज०।
2. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नैशनल बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज०।
3. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

## निर्णय

दिनांक 11/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 28.03.2019 की पालना में तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जिसकी पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/1204 दिनांक 21.10.2019 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिससे उभयपक्षकारान सहमत है।

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम निर्णय किया जाकर विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई की खाता संख्या 254 का ख०नं० 70 का रकबा 1.22 है० ख०नं० 1145 का रकबा 0.05 है०, ख०नं० 1146 का रकबा 0.26 है०, ख०नं० 1228 का रकबा 0.54 है०, ख०नं० 1230 का रकबा 0.15 है० कुल कित्ता 5 का रकबा 2.22 है० व ग्राम कवाई की खाता संख्या 284 ख०नं० 1219 रकबा 0.11 है० आराजी का हिस्सा 1/2, 1/2 का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. वादी रामप्रताप पुत्र मोतीलाल कोम माली सा0 देह रहन पंजाब नेशनल बैंक कवाई के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
70 पूर्व	0.60	बरानी 1	7.20
1145	0.05	बरानी 1	0.45
1146	0.26	बरानी 1	2.34
1228 पूर्व	0.27	चाही प्रथम 0.17	6.29
		जाव .0.10	1.80
1230 पूर्व	0.07	चाही 1	2.59
किता 5	1.25		20.67

2. प्रतिवादी क्रम 1 दौलतराम पुत्र मोतीलाल कोम माली सा0 देह रहन पंजाब नेशनल बैंक कवाई के रहन खाते में दर्ज रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
70 पश्चिम	0.60	बरानी 1	7.20
1228 पश्चिम	0.26	चाही 1—0.16	5.92
		जावा 1—0.10	1.80
1230 पश्चिम	0.07	चाही 1	2.59
किता 3	0.93		17.51

3. वादी रामप्रताप, प्रतिवादी दौलतराम पुत्र मोतीलाल कोम माली सा0 देह के खाते में दर्ज रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म
1230 मिन	0.01	चाही 1(रास्ता)
70 मिन	0.02	गै0मु0रास्ता
1228 मिन	0.01	गै0मु0रास्ता
किता 3	0.04	

4. वादी रामप्रताप पुत्र मोतीलाल हिस्सा 2/3 गोपाली बाई पत्नि स्व0 मोतीलाल हिस्सा 1/3 जाति माली सा0 देह

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1219 दक्षिण	0.05	चाही 1	1.85
किता 1	0.05		1.85

5. प्रतिवादी क्रम 1 दौलतराम पुत्र मोतीलाल हिस्सा 2/3 गोपाली बाई पत्नी स्व0 मोतीलाल हिस्सा 1/3 कोम माली सा0 देह के खाते दर्ज रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1219 उत्तर	0.06	चाही 1	2.22
किता 1	0.06		2.22

उपरोक्तानुसार वादी/प्रतिवादी का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादी/प्रतिवादी के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावे। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 09/2015

उनवान

1. रामप्रताप आयु 52 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति माली निवासी मैन चौराहा कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. दोलतराम आयु 55 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति माली निवासी मैन चौराहा दत्तात्रेय मन्दिर के सामने कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नैशनल बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई की खाता संख्या 254 का ख0नं0 70 का रकबा 1.22 है0 ख0नं0 1145 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1146 का रकबा 0.26 है0, ख0नं0 1228 का रकबा 0.54 है0, ख0नं0 1230 का रकबा 0.15 है0 कुल कित्ता 5 का रकबा 2.22 है0 व ग्राम कवाई की खाता संख्या 284 ख0नं0 1219 रकबा 0.11 है0 आराजी का हिस्सा 1/2, 1/2 का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. वादी रामप्रताप पुत्र मोतीलाल कोम माली सा0 देह रहन पंजाब नेशनल बैंक कवाई के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
70 पूर्व	0.60	बरानी 1	7.20
1145	0.05	बरानी 1	0.45
1146	0.26	बरानी 1	2.34
1228 पूर्व	0.27	चाही प्रथम 0.17	6.29
		जाव .0.10	1.80
1230 पूर्व	0.07	चाही 1	2.59
कित्ता 5	1.25		20.67

2. प्रतिवादी क्रम 1 दोलतराम पुत्र मोतीलाल कोम माली सा0 देह रहन पंजाब नेशनल बैंक कवाई के रहन खाते में दर्ज रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
70 पश्चिम	0.60	बरानी 1	7.20

1228 पश्चिम	0.26	चाही 1	-0.16	5.92
		जावा 1	-0.10	1.80
1230 पश्चिम	0.07	चाही 1		2.59
किता 3	0.93			17.51

3. वादी रामप्रताप, प्रतिवादी दौलतराम पुत्र मोतीलाल कोम माली सा0 देह के खाते में दर्ज रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म
1230 मिन	0.01	चाही 1(रास्ता)
70 मिन	0.02	गै0मु0रास्ता
1228 मिन	0.01	गै0मु0रास्ता
किता 3	0.04	

4. वादी रामप्रताप पुत्र मोतीलाल हिस्सा 2/3 गोपाली बाई पत्नि स्व0 मोतीलाल हिस्सा 1/3 जाति माली सा0देह

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1219 दक्षिण	0.05	चाही 1	1.85
किता 1	0.05		1.85

5. प्रतिवादी कम 1 दौलतराम पुत्र मोतीलाल हिस्सा 2/3 गोपाली बाई पत्नी स्व0 मोतीलाल हिस्सा 1/3 कोम माली सा0 देह के खाते दर्ज रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
1219 उत्तर	0.06	चाही 1	2.22
किता 1	0.05		2.22

उपरोक्तानुसार वादी/प्रतिवादी का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादी/प्रतिवादी के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावे।

(कृष्ण गोपाल जोजन)  
उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....  
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 11.12.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

